COMMERCIAL UNIT		U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd. 14th floor, Shakti Bhawan Extn. Lucknow-226001 Tel/Fax- 0522-2287030 CIN :U40101UP1980SGC005065 E-mail: gm.commercial@uprvunl.org

पत्रांक – 79/उनिलि/मु0अभि0(वाणिज्य)/एल0एम0वी0–10 दिनांक : 15, फरवरी, 2018

मुख्य अभियन्ता (परियोजना समन्वयक),
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
अनपरा, ओबरा, पनकी, पारीछा, हरदुआगंज
सोनभद्र, कानपुर, झाँसी, अलीगढ़।

मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त)
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0,
8 वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार,
लखनऊ।

विषय : मा0 विद्युत नियामक आयोग के आदेश दिनांक 30.11.2017 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए घोषित एल0एम0वी0–10 रेट् शिड्यूल लागू करने के सम्बन्ध में ।

कृपया अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 ने मा0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 30.11.2017 को घोषित वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु टैरिफ आदेश एवं अधिसूचना सं0 367/एच0सी0/यूपीपीसी0एल/पांच–1974–1204–सी/2017 दिनांक 07.12.2017 के अनुक्रम में समस्त सेवारत/सेवानिवृत्त विद्युत कार्मिकों अथवा उनके स्पाउस के लिए पत्र सं0 58/मु0अभि0/वा0–1/एलएमवी–10(2017–18),दिनांक 07.02.2018 द्वारा एल0एम0वी0–10 के विभिन्न श्रेणियिों के लिए रेट शिड्यूल दिनांक 09.12.2017 से लागू करते हुए जारी कर दियें हैं (संलग्न)।

उपरोक्त के सम्बन्ध में इस कार्यालय द्वारा जारी पत्र सं0 756/उनिलि/मु0अभि0(वाणिज्य)/ एल0एम0वी0–10, दिनांक 15.12.2017 तथा उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 20.12.2017 को सम्पन्न हुई 173वीं बैठक में लिए गये निर्णय के अनुसार जारी कार्यालय ज्ञापन सं0 03/उनिलि/मु0अभि0(वाणिज्य)/एल0एम0वी0–10, दिनांक 04, जनवरी, 2018 के अनुपालन में पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र सं0 58/मु0अभि0/वा0–1/ एलएमवी – 10 (2017–18), दिनांक 07.02.2018 द्वारा जारी विद्युत दरें उत्पादन निगम के समस्त सेवारत/सेवानिवृत्त विद्युत कार्मिकों अथवा उनके स्पाउस के विभिन्न श्रेणियों हेतु भी दिनांक 09.12.2017 से लागू की जाती हैं।

कृपया तदानुसार सेवारत कार्मिकों के वेतन से प्रति माह विद्युत शुल्क की कटौती सुनिश्चत करने का कष्ट करें तथा सेवानिवृत्त कार्मिकों अथवा उनके स्पाउस से विद्युत शुल्क नियमानुसार जमा करने का कष्ट करें।

ऐसे सेवानिवृत्त कार्मिक अथवा उनके स्पाउस जो विद्युत शुल्क सीधे उ0प्र0पा0का0लि0/सम्बन्धित डिस्काम में जमा करना चाहते हैं, वह सम्बन्धित वितरण खण्डों मे भी अपने निर्धारित विद्युत शुल्क जमा कर सकते हैं।

सम्बन्धित वितरण निगम में लागू रेगुलेटरी सरचार्ज मा0 नियामक आयोग के आदेश के अनुसार देय होगा।

संलग्नकः–यथोपरोक्त।

(श्याम नारायण)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

पत्रांक – 79/उनिलि/मु0अभि0(वाणिज्य)/एल0एम0वी0–10 दिनांक : 15, फरवरी, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, 7 वॉ तल, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0का0लि0, 7 वॉ तल, शक्ति भवन, लखनऊ।

COMMERCIAL UNIT	UP RVUN	**U.P. Rajya Vidyut Utpadan Nigam Ltd.** **14th floor, Shakti Bhawan Extn.** **Lucknow-226001** **Tel/Fax- 0522-2287030** **CIN :U40101UP1980SGC005065** **E-mail: gm.commercial@uprvunl.org**

3. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/दक्षिणांचल/मध्याचंल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/आगरा/लखनऊ/मेरठ/केस्को, कानपुर।
4. निदेशक (परि0 एवं वा0/तकनीकी/वित्त/कार्मिक) उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, 8 वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

पत्रांक – 79/उनिलि/मु0अभि0(वाणिज्य)/एल0एम0वी0–10 दिनांक : 15, फरवरी, 2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

5. मुख्य अभियन्ता (तापीय परिचालन/ईंधन/आर0 एण्ड एम0/पी0पी0एम0एम0/पर्या0 एवं सुरक्षा/जानपद– नव परि0/मानव संसाधन/प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि इस पत्र को संलग्नव सहित उत्पादन निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने की व्यवस्था करें।
7. अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड (उ0प्र0पा0का0लि0/समस्त डिस्काम) ।
8. मुख्य प्रबन्धक (कैश प्रबन्धक इकाई), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, 7 वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

(श्याम नारायण)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0
"वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा"
चतुर्थ तल, शक्ति भवन विस्तार,
14–अशोक मार्ग, लखनऊ।
दूरभाष : 0522–2287868, फैक्स : 0522–2287834
ई–मेल : cecomuppcl@gmail.com
CIN NO:- U32201UP1999SGC024928

पत्रांकः–58 /मु0अभि0/वा0–1/LMV-10/(2017-18) दिनांक/फरवरी, 7 2018

कार्यालय ज्ञाप

वित्तीय वर्ष 2017–18 हेतु विभागीय सेवारत/सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों/पारिवारिक पेंशन भोगियों हेतु एल0एम0वी0–10 श्रेणी में विद्युत उपभोग की सुविधा निम्नवत् अनुमन्य की जाती है:–

Category	Fixed Charge/month (Rs.)	Fixed Monthly Energy Charge (Rs.)
Class IV employees/Operating staff	175.00	195.00
Class III employees	205.00	245.00
JE & equivalent posts	280.00	460.00
AE & equivalent posts	305.00	605.00
EE & equivalent posts	325.00	645.00
SE/D.G.M. & equivalent posts	595.00	760.00
CE (I&II)/General Manager and above	650.00	880.00
Additional charge for using A.C. (April to Sep.)	Rs. 650.00 per month per AC	

एल0एम0वी0–10 श्रेणी के उपभोक्ताओं के संयोजनों पर मीटर लगने की स्थिति में अनमीटर्ड संयोजन हेतु निर्धारित दरों के अनुसार रेट चार्ज का 20 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी, तथा विद्युत कर 20 प्रतिशत (अनमीटर्ड संयोजन पर) के स्थान पर रेट चार्ज का 5 प्रतिशत देय होगा। अन्यथा अनमीटर्ड संयोजन पर विद्युत कर रेट चार्ज का 20 प्रतिशत देय होगा।

एल0एम0वी0–10 श्रेणी पर लागू उपरोक्तानुसार व्यवस्था की प्रभावी तिथि अन्य श्रेणियों की प्रभावी तिथि अर्थात 09.12.2017 के समान ही होगी।

आज्ञा से
निदेशक मण्डल
उ0प्र0 पा0का0लि0

(संबंधित वितरण निगम में लागू रेगुलेटरी सरचार्ज मा0 नियामक आयोग के आदेश के अनुसार देय होगा)।

संख्याः 58 –मु0अभि/वा0–1/ LMV-10/(2017-18) तद्दिनांक 7-2-2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष महोदय उ0प्र0 पा0का0लि0, लखनऊ।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदया, उत्तर प्रदेश पा0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।

3. प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
4. निदेशक (का0प्र0एवं प्रशा0)/निदेशक (वित्त)/निदेशक (वाणिज्य)/निदेशक (वितरण)/निदेशक (कारपोरेट प्लानिंग) उ0प्र0 पा0का0लि0, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, पूर्वांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/आगरा/लखनऊ/मेरठ, केस्को, कानपुर।
6. निदेशक (वाणिज्य) पूर्वांचल/दक्षिणांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/आगरा/लखनऊ/मेरठ, केस्को, कानपुर।
7. मुख्य महाप्रबन्धक (वित्त) उ0प्र0 पा0का0लि0, लखनऊ।
8. मुख्य अभियन्ता (आर0ए0यू0) उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
9. मुख्य लेखाधिकारी (केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ) उ0प्र0 पा0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. अधिशासी अभियन्ता (वेव) उ0प्र0 पावर कारपोरेशन को आदेश को कारपोरेशन की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(ए0के0 पाठक)
मुख्य अभियन्ता (स्तर–1)
वाणिज्य एवं ऊर्जा लेखा

प्रतिलिपि मु.अ. (वाणिज्य) उ.प्र. राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., 14 वां तल शक्ति भवन विस्तार लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित.

15/02/18
SE (Com) UPPCL